रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2016/कार्तिक 11, 1938
No. 395] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

अधिसूचना

झांसी, 20 अक्टूबर, 2016

विश्वविद्यालय के अधिकारियों की परलब्धियों, सेवा की शर्तें व निबंधन, शक्तियों व संकार्यों के लिए नियम

(रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम–2014 (2014 की संख्या 10) की धारा 29 व 28 (1) और रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, 2014 की अनुसूची के विधान 40 (1) के प्रावधानों के अनुसार)

सं. आर एल बी सी ए यू/बीओएम/3/एएण्डपी/2016–पार्ट–1.–रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का प्रबंध मंडल रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के विधान 12(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों की परिलब्धियों, सेवा की शर्तों व निबंधनों तथा संकार्यों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम निर्धारित करता और अपनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ

(i) ये नियम रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की परलब्धियों, सेवा की शर्तें व निबंधन, शक्तियों व संकार्यों के लिए नियम 2016 कहलायेंगे।

(ii) ये इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(क) 'अधिनियम' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 है जो समय–समय पर संशोधित हो सकता है।

(ख)'बीओएम' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का प्रबंध मंडल है।

(ग) 'सरकार' का अर्थ केन्द्र सरकार/भारत सरकार है।

(घ) 'विश्वविद्यालय के अधिकारी' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 10 के अंतर्गत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों के अधिकारी है।

(ड.) 'परिवीक्षा पर' का संबंध उस व्यक्ति से है जो इन नियमों में विशिष्टीकृत रूप से किसी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त हुआ है।

(च) 'नियमित सेवा' का अर्थ किसी कर्मचारी द्वारा निविदा/दैनिक वेतन/अस्थायी/तदर्थ पदोन्नति पर की गई सेवा के अतिरिक्त किसी कैडर में नियमित आधार पर दी गई सेवा है।

(छ) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के 'विधान', 'अध्यादेश' तथा 'विनियम' का अर्थ क्रमशः विधान, अध्यादेश और विनियम है।

(ज) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय है।

3. लागू होने की सीमा

ये नियम विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों सहित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 10 में विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों पर लागू होंगे।

4. कुलाधिपति की नियुक्ति, शक्तियों और संकार्य की शर्तें

4.1 नियुक्ति की विधि (विश्वविद्यालय के विधानों की धारा 2)

(क) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा विधानों की धारा 1(1) में निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी।

(ख) कुलाधिपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होगी और वह पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

तथापि अपवाद की परिस्थितियों में कुलाधिपति तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यालय में पदभार ग्रहण न कर ले।

4.2 शक्तियां एवं कर्तव्य

(क) कुलाधिपति अपने कार्यालय की विशेषता के अनुसार विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(ख) कुलाधिपति यदि उपस्थित हो तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

5. कुलपति की परिलब्धियां, सेवा की शर्तें व निबंधन तथा शक्तियां व संकार्य

5.1 नियुक्ति की विधि

क) कुलपति की नियुक्ति विधान की धारा 2(1) में निर्धारित विधि से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

ख) कुलपति अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तिथि से या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर आसीन रहेगा/रहेगी। वह अगले पांच वर्ष के लिए अथवा जब तक उसकी आयु 70 वर्ष नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो, तक पुनः नियुक्ति का पात्र होगा/होगी :

तथापि, अपवाद के रूप में कुलपति अपने कार्यालय में अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि या तब तक पदासीन रह सकता/सकती है जब तक उसका/उसकी उत्तराधिकारी पदभार नहीं ग्रहण करता/करती है।

5.2 वेतन

क. कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। कुलपति को समय–समय पर उसकी पात्रता के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मकान किराया भत्ते के अतिरिक्त मासिक वेतन तथा भत्ते अदा किए जाएंगे। उसे अपने कार्य की सम्पूर्ण अवधि के दौरान बिना किराए के भुगतान के साज–सज्जा युक्त रिहायिश के उपयोग का लाभ प्राप्त होगा और ऐसे आवास के रखरखाव के लिए भी कुलपति से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

ख. कुलपति समय–समय पर कुलाध्यक्ष की स्वीकृति से मंडल द्वारा निर्धारित अंतस्थ लाभों और भत्तों का पात्र होगा।

ग. कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अवकाश यात्रा रियायत तथा गृह नगर यात्रा रियायत का पात्र होगा जो भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगा और इस संबंध में उसकी पात्रता भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्य होगी।

घ. कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी भी स्वीकृत अस्पताल/उपचर्या गृह के प्राइवेट ओपीडी/प्राइवेट वार्ड के लिए स्वयं के/उसके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का पात्र होगा/होगी।

ड. कुलपति भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दरों के अनुसार यात्रा तथा अन्य भत्तों का पात्र होगा जिसके लिए उसका पद भारत सरकार के सचिव के समतुल्य होगा। इसके साथ ही वह पदभार ग्रहण करने और पद त्यागने पर भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारियों को देय स्थानांतरण यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों को प्राप्त करने का पात्र होगा/होगी।

5.3 अवकाश/छुट्टी

1(क) कुलपति एक कैलेण्डर वर्ष में पूर्ण वेतन के साथ तीस दिनों की छुट्टी के हकदार होंगे और उनके खाते में अग्रिम

रूप से छुट्टी हर वर्ष जनवरी और जुलाई के प्रत्येक प्रथम दिवस को दो अर्द्ध–वार्षिक किस्तों में जमा की जायेंगी:

बशर्ते कि यदि कुलपति अर्द्ध वर्ष की अवधि के दौरान कुलपति के पद का प्रभार ग्रहण अथवा त्याग करते हैं, छुट्टी सेवा के प्रत्येक पूर्ण किये गये महीनों के लिये 2½ दिन की दर से समानुपातिक रूप में खाते में जमा की जायेंगी।

1(ख) पिछले अर्द्ध वर्ष की समाप्ति पर कुलपति के खाते में जमा छुट्टियों को नये अर्द्ध वर्ष में अग्रेनीत किया जायेगा, जो इस शर्त के विषयाधीन होगा कि ऐसी अग्रेनीत छुट्टी और उस अर्द्ध वर्ष के लिये जमा की गई छुट्टी अधिकतम 300 दिनों की सीमा को पार न करे।

1(ग) कुलपति भारत सरकार के नियमानुसार अपना पद छोड़ने के समय अवकाश नकदीकरण का लाभ लिये जाने के हकदार होंगे।

1(घ) इसके अतिरिक्त, कुलपति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये तीस दिनों की दर से अर्द्ध वेतन छुट्टी के भी हकदार होंगे। इन अर्द्धवेतन छुट्टियों को भी चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ पूर्ण वेतन पर परिणत छुट्टी के तौर पर भी लिया जा सकता है। जब परिणत अवकाश उपलब्ध है, देय अर्द्ध वेतन छुट्टी के तहत अर्द्ध वेतन छुट्टी की दोगुणा राशि को डेबिट किया जायेगा;

1(ड़) कुलपति चिकित्सा आधार पर अन्य कारणों पर पांच वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के दौरान अधिकतम तीन माह की अवधि के लिये बिना वेतन के असाधारण छुट्टी लेने के भी हकदार होंगे।

2. यदि कुलपति की आगे अवधि के लिये नियुक्ति हो जाती है, ऊपर वर्णित छुट्टी की अवधि, प्रत्येक अवधि के लिये अलग–अलग लागू होगी।

3. ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान, कुलपति समान वेतन, मानदेय और भत्तों तथा ऐसी अन्य सेवाओं की सुविधाओं के हकदार होंगे जो कि उन्हें उपलब्ध करवाई गई हैं।

4. कुलपति की केंद्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक सेवा के लिये किसी बुलावे, अथवा किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिये विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्ति के कारण अनुपस्थिति के मामले में, इस तरह बिताई गई अवधि को ड्यूटी माना जायेगा।

5. जब विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को कुलपति के तौर पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें कुलपति के तौर पर उनकी नियुक्ति से पूर्व उनके खाते में जमा कोई भी छुट्टी का लाभ लेने की अनुमति होगी। इसी प्रकार उनके कुलपति का पद छोड़ने पर और उनके अपने पुराने पद का पुनः कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में, वह नये पद में जमा अपनी छुट्टियों को वापस अपने खाते में जोड़ने के हकदार होंगे।

6. कुलपति बोर्ड द्वारा समय–समय पर कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से यथा निर्धारित सेवांत लाभों और भत्तों के हकदार होंगे :

बशर्ते कि जब विश्वविद्यालय अथवा इसके द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान, अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा संबद्ध किसी संस्थान का कोई कर्मचारी कुलपति के तौर पर नियुक्त हो जाता है, उसे किसी भी भविष्य निधि में अंशदान जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है जिसका वह सदस्य है और विश्वविद्यालय उस व्यक्ति के भविष्य निधि खाते में उसी दर से योगदान करेगा जिस दर पर वह व्यक्ति कुलपति के तौर पर उसकी नियुक्ति से ठीक पहले अंशदान कर रहा था:

इसके अतिरिक्त जहां कहीं ऐसा कर्मचारी यदि किसी पेन्शन योजना का सदस्य रहा है, विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक अंशदान करेगा;

5.4 सुविधाएं

क. कुलपति पानी, विद्युत और विश्वविद्यालय द्वारा यथा स्वीकृत फर्नीचर के साथ किराया मुक्त सज्जित आवास के हकदार होंगे। उनके ठहरने के परिसर का रखरखाव विश्वविद्यालय करेगा।

ख. कुलपति मुफ़्त सरकारी कार की सुविधा के हकदार होंगे। वे मोबाईल फोन और अपने आवास पर मुफ़्त टेलीफोन (एसटीडी और आईएसडी के साथ) सेवा के भी हकदार होंगे।

ग. कुलपति अपने आवास पर एक रसोईया और दो अटेंडेंट के भी हकदार होंगे।

5.5 शक्तियां एवं कर्त्तव्य

कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होंगे तथा विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेंगे तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी करेंगे। उनकी शक्तियों और कर्त्तव्यों में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कुलपति बोर्ड, अकादमिक परिषद, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद और विस्तार शिक्षा परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में डिग्रियां प्रदान करने के लिये आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

2. कुलपति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित रहने और बैठक को संबोधित करने के हकदारी होंगे, परंतु वहां वोट देने के हकदार नहीं होंगे, अन्यथा कि वे ऐसे प्राधिकरण का सदस्य हों।

3. यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम, कानूनों, अध्यादेशों और विनियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है; और उनके पास अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये सभी ज़रूरी शक्तियां होंगी।

4. कुलपति के पास बोर्ड, अकादमिक परिषद, अनुसंधान परिषद, विस्तार शिक्षा परिषद और वित्त समिति की बैठकें बुलाने अथवा बैठकें आयोजित करने के लिये कहे जाने की शक्तियां होंगी।

5. निदेशकों, अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों और अन्य कार्यालयों को रोज़मर्रा के कामकाज के लिये अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करना जिन्हें इस संबंध में निर्धारित स्पष्ट नियमों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिये;

6. यह सुनिश्चित करना कि अल्पावधि के लिये अस्थाई पदों के सृजन और छुट्टी की स्वीकृति आदि के संबंध में सामान्य मदें प्रबंधन बोर्ड को सामान्यतः संदर्भित नहीं की जायें।

7. निदेशकों, अधिष्ठाताओं, प्रॉक्टर्स, छात्र कल्याण अधिकारी और वार्डन आदि की नियुक्ति करना।

8. किसी भी प्राधिकारी के निर्णय पर कार्रवाई न करने की शक्ति, यदि उनके मतानुसार वह अधिनियम या कानूनों या अध्यादेशों का अधिकारातीत है अथवा ऐसा कोई फैसला विश्वविद्यालय के हितों में नहीं है। दोनों ही मामलों में वह संबंधित प्राधिकारी से निर्णय के साठ दिनों के भीतर संवीक्षा करने को कह सकता है और यदि पूर्णरूपेण अथवा अंशतः मतभेद बना रहता है अथवा इसके द्वारा उपरोक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, मामला कुलाध्यक्ष के पास भेजा जायेगा उस पर उनका फैसला अंतिम होगा।

9. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, संस्थाओं और समितियों के अध्यक्ष के तौर पर, उनके पास किसी सदस्य को कार्यवाहियों में लगातार बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने अथवा ऐसे व्यवहार में संलिप्त होने जो उनके सदस्य होने के खिलाफ़ है, को लेकर प्राधिकरण की बैठक से सदस्य को निलंबित करने का अधिकार होगा।

10. छात्रों और कर्मचारियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक शक्तियां कुलपति के पास होंगी। उनके पास किसी कर्मचारी को निलंबित करने और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की शक्तियां होंगी। यद्यपि, कुलपति अन्य अधिकारियों को इन शक्तियों को सौंप सकता है।

11. उनके ऊपर निर्धारित समय पर सही प्रकार से विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने और संचालित करने और यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम अविलंब प्रकाशित किये जायें तथा विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र सही तिथियों पर शुरू और समाप्त हो।

12. आपात स्थिति में अधिनियम द्वारा अथवा अधीन, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गई है, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की ओर से कोई भी कार्रवाई करना और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत करना।

बशर्ते कि यदि संबंधित प्राधिकरण का मत है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिये थी, वह मामले को कुलाध्यक्ष के पास भेज सकता है जिस पर उनका फैसला अंतिम माना जायेगा।

आगे बशर्ते कि विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इस उप–अनुच्छेद के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर असंतुष्ट है, उसे इस कार्रवाई के विरूध उस तिथि से तीन माह के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा जिस तिथि को ऐसी कार्रवाई के फैसले की उसे सूचना दी जाती है और इस पर बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि, इसमें संशोधन कर सकता है अथवा इसे पलट सकता है।

13. उन पर अधिकारियों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों को जिम्मेदारियां आबंटित करने और अपेक्षित मानदंडों पर कार्यनिष्पादन का आकलन करने की ज़िम्मेदारी होगी।

14. व्यक्तियों (छात्रों और अकादमिक स्टाफ सहित) का इस प्रकार प्रबंधन करना जिससे इसका समाज पर व्यापक रूप से सकारात्मक प्रभाव हो और विकास आदि की संपूर्ण योजनाओं के अनुरूप कामकाज हो।

15. कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो कि कानूनों अथवा अध्यादेशों में निर्धारित की जा सकती हैं।

16. वे ऐसे आदेश जारी करेंगे और उपाय करेंगे जो कि उपरोक्त किसी के भी कार्यान्वयन के लिये ज़रूरी हैं।

6. कुलसचिव की परिलब्धियां, सेवा की शर्तें एवं निबंधन तथा शक्तियां और संकार्य

6.1 वेतन तथा सेवा की शर्तें एवं निबंधन

क. कुलसचिव चयन समिति, जिसे अधिनियम 18 के अधीन इस उद्देश्य के लिये गठित किया गया है, की सिफारिश पर सीधी भर्ती के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा। उसे एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, जो कि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत वेतनमान में रखा जायेगा। यद्यपि, प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा **रानी लक्ष्मी**

बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम—2014 के अनुच्छेद 43 (ख) में किये गये प्रावधानों के अनुरूप 3 वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी।

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, उसकी कार्यावधि, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुरूप होंगी।

बशर्ते कि कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा।

जब इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्थान/सरकारी और इसके संगठनों का कोई कर्मचारी कुल सचिव के तौर पर नियुक्त हो जाता है, वह उसी सेवानिवृत्ति लाभ योजना (नामतः सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेन्शन/ग्रेच्युटि/स्थानांतरण टीए) से शासित होता रहेगा जिसके लिये वह कुल सचिव के तौर पर उसकी नियुक्ति से पूर्व हकदार था, और जब तक वह उस पद पर अपना धारणाधिकार धारित रखता है।

ख. कुलसचिव की सेवा की शर्तें एवं निबंधन वही होंगी जैसे कि विश्वविद्यालय के अन्य गैर—शिक्षण कर्मचारियों के लिये निर्धारित हैं।

ग. कुलसचिव अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिये कुलपति के प्रति ज़िम्मेदार होंगे।

घ. जब कभी कुलसचिव का पद रिक्त होता है अथवा जब कुलसचिव बीमारी के कारण, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, इस पद से जुड़े कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किये जायेंगे जिसे इस उद्देश्य के लिये कुलपति नियुक्त कर सकते हैं।

ड.. यदि कुलसचिव की सेवाएं सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्राप्त की जाती हैं, उसकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होंगी।

च. प्रतिनियुक्त कुलसचिव को कुलपति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

छ. कुलसचिव असज्जित आवासीय परिसर के हकदार होंगे जिसके लिये वे निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करेंगे। वे नियमानुसार मोबाईल फोन और अपने आवास पर टेलीफोन (एसटीडी और आईएसडी) सेवा के भी हकदार होंगे।

ज. कुलसचिव विश्वविद्यालय द्वारा अपने गैर शिक्षण स्टाफ के लिये समय—समय पर यथा निर्धारित अवकाश, भत्तों, भविष्य निधि और अन्य सेवांत लाभों के हकदार होंगे।

झ. कुलसचिव कार्यालय और अपने आवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

6.2 शक्तियां और संकार्य

1. कुल सचिव के पास विश्वविद्यालय की ओर से समझौते करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और रिकार्डस को प्रमाणित करने की शक्तियां होंगी तथा कानूनों के तहत निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्त्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

2. कुलसचिव के पास ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध, शिक्षकों और दूसरे शैक्षणिक स्टाफ को छोड़कर, जिसे प्रबंधन बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और जांच लंबित होने के अधीन निलंबित करने, उन्हें चेतावनी जारी करने अथवा उन पर आक्षेप का दंड अधिरोपित करने अथवा वेतनवृत्ति को रोकने की शक्तियां होंगी:

   क) बशर्ते कि तब तक ऐसा कोई दण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस पर विरूध प्रस्तावित कार्रवाई के लिये कारण बताये जाने का एक न्यायोचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

   ख) उप अनुच्छेद (क) में विनिर्दिष्ट कोई भी दण्ड अधिरोपित करने के कुलसचिव के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति के पास की जायेगी।

   ग) ऐसे मामले में जब जांच से प्रकट होता है कि दंड कुलसचिव के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कुलसचिव जांच के निष्कर्ष पर अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट कुलपति को प्रस्तुत करेगा।

   बशर्ते कि कोई भी शास्ति अधिरोपित किये जाने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबंधन बोर्ड के पास की जायेगी।

3. कुलसचिव प्रबंधन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद का पदेन सचिव होगा, लेकिन उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का भी सदस्य नहीं माना जायेगा।

4. कुलसचिव के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे -

   क) वह विश्वविद्यालय के रिकार्डस, सामूहिक मोहर और ऐसी संपत्तियों का संरक्षक होगा जिन्हें बोर्ड की अपने प्रभार में रखने की प्रतिबद्धता होगी;

   ख) बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठकें बुलाये जाने के सभी नोटिस जारी करना।

ग) बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त की गई समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त का रखरखाव करना

घ) प्रबंधन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद के आधिकारिक पत्राचार संचालित करना;

ड.) अध्यादेशों अथवा अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित तरीके के अनुरूप विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की व्यवस्था करना;

च) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां, जैसे ही जारी हो जाती हैं तथा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियां कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करना;

छ) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा इसके विरूध मुकदमों अथवा कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, पावर ऑफ अटर्नी पर हस्ताक्षर करना और इस उद्देश्य के लिये उसके प्रतिनिधि के तौर पर वाद या विवाद सत्यापित करना; और

ज) अधिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा प्रबंधन बोर्ड अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित कार्यों को संपन्न करना।

7. पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियां, सेवा की शर्तें एवं निबंधन

7.1 वेतन और सेवा की शर्तें एवं निबंधन

क) पुस्तकालयाध्यक्ष चयन समिति, जिसे अधिनियम 18 के अधीन इस उद्देश्य के लिये गठित किया गया है, की सिफारिश पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और इसे समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत वेतनमान में रखा जायेगा।

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, उसकी कार्यावधि, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुरूप होंगी।

बशर्ते कि पुस्तकालयाध्यक्ष बासठ वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होगा।

ख) पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कि उन्हें कुलपति द्वारा सौंपे जा सकते हैं।

ग) जब इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्थान/सरकारी और इसके संगठनों का कोई कर्मचारी पुस्तकालयाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हो जाता है, वह उसी सेवानिवृत्ति लाभ योजना (नामतः सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेन्शन/ग्रेच्युटि/स्थानांतरण टीए) से शासित होता रहेगा जिसके लिये वह पुस्तकालयाध्यक्ष के तौर पर उसकी नियुक्ति से पूर्व हकदार था, और जब तक वह उस पद पर अपना धारणाधिकार धारित रखता है।

घ) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षण कर्मचारियों के लिये निर्धारित किये अनुसार होंगी।

ड.) यदि पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवाएं सरकारी अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्राप्त की जाती हैं, उसकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति के नियमों के तहत शासित होंगी।

च) जब कभी पुस्तकालयाध्यक्ष का पद रिक्त होता है अथवा जब पुस्तकालयाध्यक्ष बीमारी के कारण, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, इस पद से जुड़े कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किये जायेंगे जिसे इस उद्देश्य के लिये कुलपति नियुक्त कर सकते हैं।

छ) प्रतिनियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष को कुलपति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

ज) पुस्तकालयाध्यक्ष असज्जित आवासीय परिसर के हकदार होंगे जिसके लिये वे निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करेंगे। वे नियमानुसार मोबाईल फोन और अपने आवास पर टेलीफोन (एसटीडी के साथ) सेवा के भी हकदार होंगे।

झ) पुस्तकालयाध्यक्ष विश्वविद्यालय द्वारा अपने शिक्षण स्टाफ के लिये समय–समय पर यथा निर्धारित अवकाश, भत्तों, भविष्य निधि और अन्य सेवांत लाभों के हकदार होंगे।

7.2 शक्तियां एवं संकार्य

पुस्तकालयाध्यक्ष उन्हें कुलपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हें सौंपे गये कार्यों को संचालित करेगा।

8. नियंत्रक की परिलब्धियां, सेवा की शर्तें एवं निबंधन तथा शक्तियां और संकार्य

8.1 वेतन तथा सेवा की शर्तें एवं निबंधन

क) नियंत्रक चयन समिति, जिसे अधिनियम 18 के अधीन इस उद्देश्य के लिये गठित किया गया है, की सिफारिश पर सीधी भर्ती के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा। उसे एक विनिर्दिष्ट अवधि केलिये, जो कि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति

पर भी नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत वेतनमान में रखा जायेगा। नियंत्रक को अधिकतम पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, उसकी कार्यावधि, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुरूप होंगी।

बशर्ते कि नियंत्रक साठ वर्ष की आयु अथवा यथा संशोधित, पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा। यद्यपि सेवानिवृत्ति की आयु विष्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगी।

ख) जब इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्थान/सरकारी और इसके संगठनों का कोई कर्मचारी नियंत्रक के तौर पर नियुक्त हो जाता है, वह उसी सेवानिवृत्ति लाभ योजना (नामतः सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेन्शन/ग्रेच्युटि/स्थानांतरण टीए) से शासित होता रहेगा जिसके लिये वह नियंत्रक के तौर पर उसकी नियुक्ति से पूर्व हकदार था, और जब तक वह उस पद पर अपना धारणाधिकार धारित रखता है।

ग) जब कभी नियंत्रक का पद रिक्त होता है अथवा जब नियंत्रक बीमारी के कारण, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, इस पद से जुड़े कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किये जायेंगे जिसे इस उद्देश्य के लिये कुलपति नियुक्त कर सकते हैं।

घ) नियंत्रक की सेवा की शर्तें एवं निबंधन वहीं होगी जैसे कि विश्वविद्यालय के अन्य ग़ैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिये निर्धारित हैं।

ड.) यदि नियंत्रक की सेवाएं सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्राप्त की जाती हैं, उसकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति के नियमों से शासित होंगी।

च) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये नियंत्रक को कुलपति की अनुशंसा पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि से पहले प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

छ) नियंत्रक असज्जित आवासीय परिसर के हकदार होंगे जिसके लिये वे निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करेंगे। वे नियमानुसार मोबाईल फोन और अपने आवास पर टेलीफोन (एसटीडी सहित आईएसडी) सेवा के भी हकदार होंगे।

ज) नियंत्रक विश्वविद्यालय द्वारा अपने शिक्षण स्टाफ के लिये समय–समय पर यथा निर्धारित अवकाश, भत्तों, भविष्य निधि और अन्य सेवांत लाभों के हकदार होंगे।

झ) नियंत्रक कार्यालय और अपने आवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

8.2 शक्तियां और संकार्य

1. नियंत्रक वित्त समिति के पदेन सचिव होंगे, परंतु वे इस समिति के सदस्य नहीं माने जायेंगे। नियंत्रक -

   क) विश्वविद्यालय की निधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे और इसे उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देंगे; और

   ख) अधिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अध्यादेशों या कानूनों के तहत अथवा प्रबंधन बोर्ड अथवा कुलपति द्वारा सौंपे गये कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण के विषयाधीन, नियंत्रक -

क) ट्रस्ट और बहुमूल्य संपत्ति सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेशों का नियंत्रण और प्रबंधन करेंगे;

ख) सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड द्वारा आवर्ती और ग़ैर आवर्ती व्यय एक वर्ष के लिये बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं से आगे न बढ़ें और सभी धनराशियां उन उद्देश्यों के लिये विस्तारित किये जाते हैं जिनके लिये वे प्रदान या आबंटित की जाती हैं।

ग) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा–जोखा और बजट तैयार करने उन्हें और प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिये जिम्मेदार होंगे;

घ) नकदी और बैंक बैलेंस की स्थिति और निवेशों की तिथि पर लगातार निगरानी रखना;

ड.) राजस्व संग्रह की प्रगति की निगरानी रखना और संग्रह संबंधी पद्धतियों पर सलाह देना;

च) सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टरों का अद्यतन रखरखाव किया जाता है और सभी कार्यालयों, विभागों, महाविद्यालयों तथा विशेषीकृत प्रयोगशालाओं में उपकरणों तथा अन्य उपभोज्य सामग्रियों की स्टॉक जांच की जाती है;

छ) अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कुलपति को सूचित करना और दोषी व्यक्तियों के विरूध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना;

ज) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, विभाग, केंद्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्थान से कोई भी सूचना अथवा विवरण मंगवाना जो कि उनके कार्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक समझा जाता है;

झ) वित्त समिति की बैठक बुलाये जाने हेतु सूचना जारी करना;

ट) वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त का रखरखाव करना;

ठ) वित्त समिति का आधिकारित पत्राचार संचालित करना; और वार्षिक लेखा जोखा तथा तुलनपत्र तैयार करना तथा समय पर भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा करवाना।

2. विश्वविद्यालय को देय कोई भी राशि के लिये नियंत्रक अथवा बोर्ड द्वारा उनकी ओर से इस संबधं में अधिकृत व्यक्तियों द्वारा दी गई रसीद ऐसी राशि के भुगतान के लिये पर्याप्त निर्वहन होगा।

9. कालेजों के अधिष्ठाता और संकायों की परिलब्धियां, सेवा की शर्तें एवं निबंधन

9.1 वेतन और सेवा की शर्तें एवं निबंधन

क) कॉलेज का अधिष्ठाता चयन समिति, जिसे अधिनियम 18 के अधीन इस उद्देश्य के लिये गठित किया गया है, की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। उन्हें समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत वेतनमान में रखा जायेगा। को अधिकतम पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है। बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, उसकी कार्यावधि, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुरूप होंगी।

ख) प्रत्येक संकाय का एक अधिष्ठाता होगा जो कि संबंधित महाविद्यालय का प्रमुख भी होगा। यदि किसी संकाय का एक से अधिक महाविद्यालय है तो कुलपति किसी एक अधिष्ठाता को संकाय के अधिष्ठाता के तौर पर भी मनोनीत कर सकते हैं।

ग) अधिष्ठाता किराया मुक्त और असज्जित आवासीय परिसर के हकदार होंगे। वे नियमानुसार मोबाईल फोन और अपने आवास पर टेलीफोन (एसटीडी के साथ) सेवा के भी हकदार होंगे।

घ) अधिष्ठाता कार्यालय और अपने आवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा के भी हकदार होंगे।

ड.) अधिष्ठाता पांच वर्ष की अवधि के लिये पद को धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

च) बशर्ते कि अधिष्ठाता पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने पर पद पर बने नहीं रहेंगे।

छ) जब कभी का पद रिक्त होता है अथवा जब नियंत्रक बीमारी के कारण, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, इस पद से जुड़े कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किये जायेंगे जिसे इस उद्देश्य के लिये कुलपति नियुक्त कर सकते हैं।

ज) महाविद्यालय और संकाय में शिक्षण के मानदंडों के संचालन और अनुरक्षण के लिये कुलपति के प्रति ज़िम्मेदार होंगे और ऐसी अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो कि अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं।

झ) विश्वविद्यालय के संकाय के अध्ययन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष, अकादमिक परिषद, अनुसंधान परिषद और विस्तार शिक्षा परिषद के सदस्य होंगे।

9.2 शक्तियां और संकार्य

महाविद्यालय का निम्नलिखित कार्य संचालित करेगा:

क) महाविद्यालय में विभागाध्यक्षों के जरिये शिक्षण और अनुसंधान कार्यों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण;

ख) विभागाध्यक्षों के जरिये कक्षाओं में अनुशासन बनाये रखना;

ग) सत्र कार्य के मूल्यांकन और भाषणों, शिक्षण अथवा संगोष्ठियों में, जब भी ये निर्धारित की जाती हैं, छात्रों की उपस्थिति का रिकार्ड रखना;

घ) प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय के छात्रों के संबंध में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये व्यवस्था करना;

ड.) विभागों और महाविद्यालयों से संबंधित अधिनियम/कानूनों/अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिये ज़िम्मेदार होंगे;

च) संकाय की बैठकों का संयोजन और अध्यक्षता तथा बैठकों के कार्यवृत्त का रखरखाव; तथा

छ) ऐसे अन्य शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन जिन्हें अकादमिक परिषद, प्रबंधन बोर्ड अथवा कुलपति द्वारा सौंपा जा सकता है।

10. शिक्षा निदेशक की परिलब्धियां, सेवा की शर्तें एवं निबंधन

10.1 वेतन और सेवा की शर्तें एवं निबंधन

क) शिक्षा निदेशक चयन समिति, जिसे अधिनियम 18 के अधीन इस उद्देश्य के लिये गठित किया गया है, की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। उन्हें समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत वेतनमान में रखा जायेगा। शिक्षा निदेशक को अधिकतम पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है। बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, उसकी कार्यावधि, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुरूप होंगी।

ख) शिक्षा निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिये पद को धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।:

बशर्ते कि शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने पर पद पर बने नहीं रहेंगे।

ग) शिक्षा निदेशक किराया मुक्त और असज्जित आवासीय परिसर के हकदार होंगे। वे नियमानुसार मोबाईल फोन और अपने आवास पर टेलीफोन (एसटीडी के साथ) सेवा के भी हकदार होंगे।

घ) शिक्षा निदेशक कार्यालय और अपने आवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा के भी हकदार होंगे।

ड.) जब कभी शिक्षा निदेशक का पद रिक्त होता है अथवा जब शिक्षा निदेशक बीमारी के कारण, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, इस पद से जुड़े कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किये जायेंगे जिसे इस उद्देश्य के लिये कुलपति नियुक्त कर सकते हैं।

10.2 शक्तियां और संकार्य

शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों के नियोजन, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिये ज़िम्मेदार होंगे और अध्यादेशों द्वारा यथा निर्धारित अन्य संकार्य संचालित करेंगे।

11. निदेशक अनुसंधान की परिलब्धियां, सेवा की शर्तें एवं निबंधन

11.1 वेतन और सेवा की शर्तें एवं निबंधन

क) निदेशक अनुसंधान चयन समिति, जिसे अधिनियम 18 के अधीन इस उद्देश्य के लिये गठित किया गया है, की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। उन्हें समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत वेतनमान में रखा जायेगा। निदेशक अनुसंधान को अधिकतम पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है। बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, उसकी कार्यावधि, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुरूप होंगी।

ख) निदेशक अनुसंधान पांच वर्ष की अवधि के लिये पद को धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।:

ग) बशर्ते कि शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने पर पद पर बने नहीं रहेंगे।
निदेशक अनुसंधान किराया मुक्त और असज्जित आवासीय परिसर के हकदार होंगे। वे नियमानुसार मोबाईल फोन और अपने आवास पर टेलीफोन (एसटीडी के साथ) सेवा के भी हकदार होंगे।

निदेशक अनुसंधान कार्यालय और अपने आवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा के भी हकदार होंगे

घ) निदेशक अनुसंधान पांच वर्ष की अवधि के लिये पद को धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे:

बशर्ते कि शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने पर पद पर बने नहीं रहेंगे।

ड.) जब कभी निदेशक अनुसंधान का पद रिक्त होता है अथवा जब शिक्षा निदेशक बीमारी के कारण, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, इस पद से जुड़े कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किये जायेंगे जिसे इस उद्देश्य के लिये कुलपति नियुक्त कर सकते हैं।

11.2 शक्तियां और संकार्य

क) निदेशक अनुसंधान विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिये ज़िम्मेदार होंगे तथा अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिये कुलपति के प्रति ज़िम्मेदार होंगे तथा अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित अन्य संकार्यों को संचालित करेंगे।

ख) निदेशक अनुसंधान विश्वविद्यालय की अनुसंधान परिषद के पदेन सदस्य–सचिव होंगे।

12. निदेशक विस्तार शिक्षा की परिलब्धियां, सेवा की शर्तें एवं निबंधन

12.1 वेतन और सेवा की शर्तें एवं निबंधन

क) निदेशक विस्तार शिक्षा चयन समिति, जिसे अधिनियम 18 के अधीन इस उद्देश्य के लिये गठित किया गया है, की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा और वह विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

उन्हें समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये अनुशंसित और प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत वेतनमान में रखा जायेगा।

निदेशक विस्तार शिक्षा को अधिकतम पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, उसकी कार्यावधि, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुरूप होंगी।

ख) निदेशक विस्तार शिक्षा किराया मुक्त और असज्जित आवासीय परिसर के हकदार होंगे। वे नियमानुसार मोबाईल फोन और अपने आवास पर टेलीफोन (एसटीडी के साथ) सेवा के भी हकदार होंगे।

ग) निदेशक विस्तार शिक्षा कार्यालय और अपने आवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा के भी हकदार होंगे।

घ) निदेशक विस्तार शिक्षा पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगेः बशर्ते कि निदेशक विस्तार शिक्षा पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने पर पद पर बने नहीं रहेंगे।

ड.) जब कभी निदेशक विस्तार शिक्षा का पद रिक्त होता है अथवा जब निदेशक विस्तार शिक्षा बीमारी के कारण, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, इस पद से जुड़े कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किये जायेंगे जिसे इस उद्देश्य के लिये कुलपति नियुक्त कर सकते हैं।

12.2 शक्तियां और संकार्य

क) निदेशक विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय के सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिये ज़िम्मेदार होंगे तथा अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिये कुलपति के प्रति ज़िम्मेदार होंगे तथा अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित अन्य संकार्यों को संचालित करेंगे।

ख) निदेशक विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय की विस्तार शिक्षा परिषद के पदेन सदस्य–सचिव होंगे।

13. विभागाध्यक्षों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन

13.1 नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधन

क) प्रत्येक विभाग में कुलपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होगा, जो कि विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 10 में निर्धारित पद्धति में एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक से नीचे का नहीं होगा।

ख) विभागाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कोई प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर तीन वर्ष की अवधि के पद पर कार्यरत रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

ग) कोई प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर के लिये विभागाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति के प्रस्ताव से इन्कार करने का विकल्प खुला रहेगा।

घ) कोई भी विभागाध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय पद से त्यागपत्र दे सकता है।

ड.) विभागाध्यक्ष पैसंठ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा।

13.2 शक्तियां और संकार्य

क) वह शिक्षण के लिये के प्रति, अनुसंधान के लिये निदेशक अनुसंधान के प्रति, विस्तार शिक्षा कार्य के लिये निदेशक विस्तार शिक्षा के प्रति ज़िम्मेदार होंगे। यद्यपि संबंधित महाविद्यालय में विभागाध्यक्षों का प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी होगा।

ख) विभागाध्यक्ष विभाग की बैठकें बुलायेंगे और अध्यक्षता करेंगे जो कि एक सेमेस्टर में कम से कम दो बार आयोजित की जायेंगी।

ग) उनकी निम्नलिखित ज़िम्मेदारियां होंगीः–

i. विभाग में शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का संचालन और पर्यवेक्षण करना;

ii. विभाग द्वारा किये गये शिक्षण कार्य आबंटन के अनुरूप समय सारणी तैयार करना;

iii. शिक्षकों के जरिये कक्षा और प्रयोगशालाओं में अनुशासन बनाये रखना;

iv. शिक्षकों को विभाग के उचित संचालन के लिये यथा आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपना;

v. विभाग में गैर शिक्षण कर्मचारियों को कार्य सौंपना और नियंत्रण करना; और

vi. अध्यादेशों, संबंधित महाविद्यालय के , अकादमिक परिषद, बोर्ड और कुलपति द्वारा समय–समय पर सौंपे गये/निर्धारित किये जाने वाले अन्य कार्य संचालित करना।

डॉ. अरविन्द कुमार, कुलपति

[विज्ञापन III/4/असा./285/16 (375)]

RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

NOTIFICATION

Jhansi, the 20th October, 2016

Rules for Emoluments, Terms and Conditions of Service, Powers and Functions of Officers of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University – 2016

[As stipulated Under Section 29 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act-2014 (No. 10 of 2014), read with section 28 (1) and the Statute 40 (1) of the Schedule of the University]

No.RLBCAU/BOM/3/A&P/2016-PART-I.—The Board of Management of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University in exercise of the powers conferred under Statute 12(4) of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act-2014 hereby makes and adopts the following rules for regulating Emoluments, Terms and Conditions of Service and Powers and Functions of Officers of the University.

1. Short Title and Commencement:

(i) These rules may be called Rules for Emoluments, Terms and Conditions of Service, Powers and Functions of Officers of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University – 2016.

(ii) These will come into force on the date of its notification.

2. Definitions:

(a) "Act" means the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 as amended from time to time.

(b) "BOM" means the Board of Management of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University.

(c) "Government" means the Central Government/ Govt .of India.

(d) "Officers of the University" means the officers of University listed under Section 10 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014.

(e) "On Probation" with relation to a person, means a person appointed to any post on probation as specified in these Rules.

(f) "Regular Service" means service rendered by an employee in the Cadre on regular basis other than the service on contract/ daily wages/ temporary/ ad-hoc promotion.

(g) "Statutes", "Ordinance" and "Regulation" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014.

(j) "Selection Committee" means a composition of members of Selection Committee including Departmental Promotion Committee as specified in the Statues/ Ordinances, where not specified, as per these Recruitment Rules.

(k) "University" means the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University established under the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014.

3. Extent of Application:

These rules shall apply to all the Officers of the University as specified in section 10 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 including Heads of Department of the University.

4. Terms of appointment, Powers and Functions of the Chancellor

4.1 Manner of appointment (Section 2 of the Statutes of the University)

(a) The Chancellor shall be appointed by the Visitor in such manner as prescribed in the Section 1 (1) of the Statutes.

(b) The Chancellor shall hold office for a term of five years and shall not be eligible for reappointment:

Provided that in exceptional circumstances, the Chancellor may continue to hold office until his successor enters upon his office.

4.2 Powers and duties

(a) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the University.

(b) The Chancellor shall, if present, preside at the convocations of the University held for conferring degrees.

5. Emoluments, Terms and Conditions of Service and Powers and Functions of the Vice-chancellor

5.1 Manner of appointment

a. The Vice - chancellor shall be appointed by the Visitor in such manner as prescribed in the Section 2 (1) of the Statutes.

b. The Vice - Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he/she enters upon his/her office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier. He/she shall be eligible for reappointment for a further term of five years, or until he/she attains the age of seventy years whichever is earlier :

Provided that in exceptional circumstances, the Vice-chancellor may continue to hold office for a period not exceeding one year or until his/her successor is appointed and enters upon his/her office.

5.2 Salary

a. The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University. Vice-chancellor shall be paid a monthly salary and allowances other than the house rent allowance, at the rate fixed by the Central Government from time to time and he shall be entitled, without payment of rent, to use a furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor in respect of the maintenance of such residence;

b. The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as fixed by the Board with the approval of the Visitor from time to time.

c. The Vice Chancellor shall be entitled to Leave Travel Concession and Home Travel Concession, as approved by the University from time to time, which shall be in conformity with Govt. of India rules and the entitlement shall be equivalent to the rank of Secretary to Govt. of India.

d. The Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical treatment of himself/ herself and his/her family members obtained for the Private OPD/Private Wards of any approved Hospital/Nursing Home as approved by the University.

e. The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and other allowances as per the rate fixed from time to time by the Government of India for the officers' equivalent to the rank of Secretary to the Government of India. Further, he/she shall be entitled to transfer travelling allowances and other allowances as admissible to officers of the rank of Secretary to the Government of India for joining and after relinquishing the post.

5.3 Leave

1(a) The Vice Chancellor shall be entitled, to leave on full pay at the rate of thirty days in a calendar year and the leave shall be credited to his account in advance in two half-yearly installments of fifteen days each on the first day of January and July every year:

Provided that if the Vice Chancellor assumes or relinquishes the charge of the Office of the Vice Chancellor during the currency of half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of 2½ days for each completed months of service.

1(b) The Leave at the credit of the Vice Chancellor at the close of the previous half year shall be carried forward to the new half year, subject to the condition that the Leave, so carried forward plus the credit for that half year, does not exceed the maximum limit of 300 days.

1(c) The Vice Chancellor shall be entitled for the benefit of leave encashment at the time of his/her laying down the office as per Government of India rules.

1(d) In addition, the Vice Chancellor shall also be entitled to half pay leave at the rate of twenty days for each completed year of service. This half pay leave may also be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate. When commuted leave is available, twice the amount of half pay leave shall be debited against half pay leave due;

1(e) The Vice Chancellor shall also be entitled to avail himself/herself of Extra- Ordinary Leave without pay for a maximum period of three months during the full term of five year on medical grounds or otherwise.

2. In case the Vice Chancellor is appointed for further term, the leave period mentioned above, shall apply separately to each term.

3. During the period of such Leave, the Vice Chancellor shall be entitled to the same Salary, Honorarium and Allowances and such other facilities of services as many have been provided.

4. In the case of any absence of the Vice Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose, the period, so spent shall be treated on duty.

5. Where an employee of the University is appointed as the Vice Chancellor, he/she shall be allowed to avail himself/herself of any Leave at his/her credit before his/her appointment as the Vice Chancellor. Similarly, on his/her relinquishing the post of the Vice Chancellor and in event of his/her re-joining his/her old post, he /she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post.

6. The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board with the approval of the Visitor from time to time:

Provided that where an employee of the University or a college or an institution maintained by it, or of any other University or any institution maintained by or affiliated to such other University, is appointed as the Vice-Chancellor, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his appointment as the Vice-Chancellor:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme;

5.4 Amenities

a. The Vice Chancellor shall be entitled to have water, power and rent free furnished residential accommodation with such furniture, as may be approved by the University. The premises of his/her lodging will be maintained by the University.

b. The Vice Chancellor shall be entitled to the facility of a free official car. He/she shall also be entitled to mobile phone and free telephone (with STD and ISD) service at his/her residence.

c. The Vice Chancellor shall be entitled to one cook and two attendants at his/her residence.

5.5 Powers and duties

The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the university and give effect to the decisions of all the authorities of the University. His/her powers and duties include, among others, the following:-

1. The Vice-Chancellor shall be *ex officio* Chairman of the Board, the Academic Council, the Finance Committee, the Research Council and the Extension Education council and shall in the absence of the Chancellor, preside over the convocation held for conferring degrees.

2. The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address any meeting of any authority of the University, but shall not be entitled to vote there unless he/she is a member of such authority.

3. To ensure that the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations are fully observed; and he/she shall have all the powers necessary to ensure observance.

4. The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Board, the Academic Council, the Research Council, the Extension Education Council and the Finance Committee.

5. To delegate his/her powers for day-to-day work to the Directors, Deans, Heads of the Departments and other offices who should act on the basis of clear rules laid down in this regard;

6. To ensure that the routine items regarding creation of temporary posts for short duration and sanction of leave etc. should not normally be referred to the Board of Management.

7. To make appointments of Directors, Deans, Heads, Proctors, Students Welfare Officer and Wardens etc.

8. Power, not to act upon any decision of any authority, if he/she is of the opinion that it is *ultravires* of the provisions of the Act or Statues or Ordinances or that such a decision is not in the best interests of the University. In both the cases he/she could ask the authority concerned to review the decision within sixty days of such decision and if differences persist either in whole or part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Visitor whose decision thereon shall be final.

9. As the Chairman of the authorities, bodies and Committees of the University, he/she will be empowered to suspend a member from the meeting of the authority, body or committee for persisting to obstruct or stall the proceedings or for indulging in behavior unbecoming of a member.

10. All the disciplinary powers in regard to students and employees shall vest with the Vice-Chancellor. He/she shall have the powers to suspend an employee and initiate disciplinary action against him/her. However, the Vice-Chancellor could delegate these powers to other officers.

11. He/She shall be responsible for holding and conducting the University examinations properly at the scheduled time and for ensuring that results of such examinations are published expeditiously and that academic session of

the university start and end on proper dates.

12. In an emergent situation to take any action on behalf of any authority of the University by or under the Act in which the power is vested and to report the action taken in the next meeting of the authority.

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Visitor whose decision thereon shall be final.

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Board within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Board may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

13. He shall be responsible to allocate responsibilities and to audit the performance of officers, faculty members, staff and students against the expected standards.

14. Managing the people (including students and academic staff), in a manner whereby there is a positive impact on society at large and the actions are in accordance with the overall plans of development etc.

15. The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

16. He/She shall pass such Orders and take such measures that are necessary to implement any of the above.

6. Emoluments, Terms and Conditions of Service and Powers and Functions of the Registrar

6.1 Salary and Terms and Conditions of Service

a. The Registrar shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendation of a Selection Committee under Statute 18 constituted for the purpose for tenure of five years and shall be eligible for re appointment. He/She may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years. He/She shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Board of Management from time to time. However, the first Registrar shall be appointed by the visitor for a term of 3 years as per provisions in section 43 (b) of the **Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act-2014**.

Provided that if a person is appointed on deputation, his/her tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the terms of deputation.

Provided that the Registrar shall retire on attaining the age of sixty two years.

Where an employee of this university or any other Institution / Government and its organizations is appointed as Registrar, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely general Provident Fund/ Contributory Provident Fund/ Pension/ Gratuity /Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as Registrar, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.

b. The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as prescribed for other non- teaching employees of the University.

c. The Registrar shall be responsible to the Vice-chancellor for performance of his/her duties.

d. When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

e. If the services of the Registrar are obtained from Government or any other organization *I* Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.

f. A Registrar on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Board of Management on the recommendations of the Vice Chancellor.

g. The Registrar shall be entitled to unfurnished residential accommodation for which he/she shall pay prescribed license fee. He shall also be entitled to mobile phone and telephone (with STD and ISD) service at his/her residence as per rules.

h. The Registrar shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non-teaching staff.

i. The Registrar shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

6.2 Powers and Functions

1. The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

2. The Registrar shall have power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Board of Management and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment:

   a. Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the Action proposed to be taken in regard to him.

   b. An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the registrar imposing any of the penalties specified in sub-clause (a).

   c. In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations.

   Provided that an appeal shall lie to the Board of Management against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

3. The Registrar shall be Secretary *ex-officio* of the Board of Management and the Academic Council, but shall not be deemed to be a member of either of these authorities.

4. It shall be the duty of the Registrar-

   a) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Board shall commit to his charge;

   b) To issue all notices convening meetings of the Board, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities.

   c) To keep the minutes of all the meetings of the Board, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities.

   d) To conduct the official correspondence of the Board of Management and the Academic Council;

   e) To arrange for the examinations of the University in accordance with the manner prescribed by the Ordinances or notifications;

   f) To supply to the visitor, copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;

   g) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

   h) To perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be required from time to time by the Board of Management, or the Vice-Chancellor.

7. Emoluments, Terms and Conditions of Service of the Librarian

7.1 Salary and Terms and Conditions of Service

a) The Librarian shall be a whole-time salaried officer appointed on the basis of direct recruitment on the recommendation of a Selection committee constituted for the purpose under Statute 18 and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Board of Management from time to time.

   Provided that if a person is appointed on deputation, his/her tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the terms of deputation.

   Provided that the Librarian shall retire on attaining the age of sixty two years.

b) The Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

c) Where an employee of this university or any other Institution/Government and its organizations is appointed as Librarian, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely general Provident Fund/ Contributory Provident Fund/ Pension/Gratuity/Transfer TA etc) to which he was entitled prior to his/her appointment as Librarian, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.

d) The terms and conditions of service of the Librarian shall be such as prescribed of other Teaching employees of the university.

e) If the services of the Librarian are borrowed from Government or any other organization *I* Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.

f) When the office of the Librarian is vacant or when the Librarian is, by reason of illness, absence or nay other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-chancellor may appoint for the purpose.

g) A Librarian on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Board of Management on the recommendations of the Vice Chancellor.

h) The Librarian shall be entitled to unfurnished residential accommodation for which he shall pay prescribed license fee. He/she shall also be entitled to mobile phone and telephone (with STD) service at his/her residence as per rules.

i) The Librarian shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its Teaching staff.

7.2 Powers and Functions

The Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him/her by theVice-Chancellor.

8. Emoluments, Terms and Conditions of Service of the Comptroller

8.1 Salary and Terms and Conditions of Service

a) The Comptroller shall be a whole-time salaried officer appointed by the Board of Management on the recommendations of a Selection committee constituted for the purpose under statute 18 for tenure of five years and shall be eligible for re-appointment. He/she shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission for Central Universities and adopted by the Board of Management from time to time.

The Comptroller may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years:

Provided that if a person is appointed on deputation, his/her tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the terms of deputation.

Provided that the Comptroller shall retire on attaining the age of sixty years or as amended. Although age of retirement of controller shall be as per UGC regulations.

b) Where an employee of this university or any other Institution / Government and its organizations is appointed as Comptroller, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely general Provident Fund/ Contributory Provident Fund/ Pension / Gratuity / Transfer TA etc.) to which he was entitled prior to his/her appointment as Comptroller, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.

c) When the office of the Comptroller is vacant or when the Comptroller is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

d) The terms and conditions of service of the Comptroller shall be such as prescribed for other non-teaching employees of the University.

e) If the services of the Comptroller are obtained from Government or any other organization / Institution, the terms and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.

f) A Comptroller on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Board of Management on the recommendations of the Vice Chancellor.

g) The Comptroller shall be entitled to unfurnished residential accommodation, for which he/she shall pay prescribed license fee. He shall also be entitled to mobile phone and telephone (with STD and ISD) service at his/her residence as per rules.

h) The Comptroller shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non-teaching staff.

i) The Comptroller shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

8.2 Powers and Functions

1. The Comptroller shall be *ex officio* Secretary of the Finance committee, but shall not be deemed to be a member of such Committee. The Comptroller shall-

(a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy; and

(b) Exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by by the Statutes or the Ordinances the Statutes or assigned to him/her by the Board of Management or the Vice-Chancellor from time to time.

Subject to the control of the Board of Management, the Comptroller shall-

(a) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;

(b) ensure that the limits fixed by the Board for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted.

(c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation of the Board of Management;

(d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;

(e) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

(f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, Departments, Colleges and Specialized Laboratories;

(g) bring to the notice of the Vice-Chancellor unauthorized expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault;

(h) call for from any Office, Department, Centre, Laboratory, College or Institution maintained by the University any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties;

(i) issue notice convening meeting of the Finance Committee;

(j) keep the minutes of the meeting of Finance Committee;

(k) Conduct the official correspondence of the Finance Committee; and ensure preparation of annual account and balance sheet and audit by the CAG of India on time.

2. Any receipt given by the Comptroller or the person or persons duly authorized in this behalf by the Board for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

9. Emoluments, Terms and Conditions of Service of the Dean of Colleges and Facultie

9.1 Salary and Terms and Conditions of Service

a. The Dean of the college shall be appointed by the Board on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose as per Statute 18 and he/she shall be a whole-time salaried officer of the University. He/she shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission for Central Universities and adopted by the Board of Management from time to time.

The Dean may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years:

Provided that if a person is appointed on deputation, his/her tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the terms of deputation.

b. Each Faculty shall have a Dean who shall also be the head of the college concerned. If any Faculty has more than one college, the Vice-Chancellor may nominate one of the Deans as Dean of the Faculty.

c. The Dean shall be entitled to rent free and unfurnished residential accommodation. He shall also be entitled to mobile phone and telephone (with STD) service at his/her residence as per rules.

d. The Dean shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

e. The Dean shall hold the office for a term of five years and shall be eligible for re-appointment.

f. Provided that a Dean on attaining the age of sixty-five years shall cease to hold office as such.

g. When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by such persons as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

h. The Dean shall be responsible to the Vice-Chancellor for the conduct and maintenance of the standards of teaching in the college and Faculty and shall perform such other functions as may be prescribed by the Ordinances.

i. The Dean shall be the *ex-officio* Chairman of the Board of Studies of the Faculty, a member of the Academic Council, the Research Council and the Extension Education Council of the University.

9.2 Powers and Functions

The Dean of the College shall:

a. Co- ordinate and generally supervise the teaching and research works in the College through the Heads of the Departments;

b. Maintain discipline in the classrooms through the Heads of the Departments;

c. Keep a record of the evaluation of sessional work and of the attendance of the students at lectures, tutorials or seminars when these are prescribed;

d. Arrange for the examinations of the University in respect of the students of the College in accordance with such directions as may be given by the Board of Management;

e. Shall be responsible for observance of the provisions of the Act/Statutes/Ordinances and Regulations relating to the Departments and the College;

f. Convene and preside over the meetings of the faculty and keep the minutes of the meetings; and

g. Perform such other academic duties as may be assigned to him/her by the Academic Council, the Board of Management or the Vice-Chancellor.

10. Emoluments, Terms and Conditions of Service of the Director of Education

10.1 Salary and Terms and Conditions of Servic

a. The Director of Education shall be appointed by the Board on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose as per Statute 18 and he/she shall be a whole-time salaried officer of the University. He/she shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Board of Management from time to time.

The Director of Education may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years.

Provided that if a person is appointed on deputation, his/her tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the terms of deputation.

b. The Director of Education shall hold office for a term of five years and shall be eligible for re-appointment:

Provided that Director of Education on attaining the age of sixty-five years shall cease to hold office as such.

c. The Director of Education shall be entitled to rent free and unfurnished residential accommodation. He/she shall also be entitled to mobile phone and telephone (with STD) service at his/her residence as per rules.

d. The Director of Education shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

e. When the office of the Director of Education is vacant or when the Director of Education is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by such persons as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

10.2 Powers and Functions

The Director of Education shall be responsible for planning, co-ordination and supervision for all educational programmes in the various Faculties of the University, and shall perform such other functions as may be prescribed by the Ordinances.

11. Emoluments, Terms and Conditions of Service of the Director of Research

11.1 Salary and Terms and Conditions of Service

a. The Director of Research shall be appointed by the Board on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose as per Statute 18, and he/she shall be a whole-time salaried officer of the University. He/she shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Board of Management from time to time.

The Director of Research may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years. Provided that if a person is appointed on deputation, his/her tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the terms of deputation.

b. The Director of Research shall be entitled to rent free and unfurnished accommodation. He/she shall also be entitled to mobile phone and telephone (with STD) service at his/her residence as per rules.

c. The Director of Research shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

d. The Director of Research shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment: Provided that the Director of Research on attaining the age of sixty-five years shall cease to hold office as such.

e. When the office of the Director of Research is vacant or when the Director of Research is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by such persons as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

11.2 Powers and Functions

a. The Director of Research shall be responsible for supervision and co-ordination of all research programmes of the University and shall be responsible to the Vice-Chancellor for performance of his/her duties, and shall perform such other functions as may be prescribed by the Ordinances.

b. The Director of Research shall be *ex- officio* Member-Secretary of the Research Council of the University.

12. Emoluments, Terms and Conditions of Service of the Director of Extension Education

12.1 Salary and Terms and Conditions of Service

a. The Director of Extension Education shall be appointed by the Board on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose as per Statute 18 and he/she shall be a whole-time salaried officer of the University. He/she shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Board of Management from time to time.

The Director of Extension Education may also be appointed on deputation for a specified period not exceeding five years:

Provided that if a person is appointed on deputation, his/her tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the terms of deputation.

b. The Director of Extension Education shall be entitled to rent free and unfurnished accommodation. He/she shall also be entitled to mobile phone and telephone (with STD and ISD) service at his/her residence as per rules.

c. The Director of Extension Education shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

d. The Director of Extension Education shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment: Provided that the Director of Extension Education on attaining the age of sixty-five years shall cease to hold office as such.

e. When the office of the Director of Extension Education is vacant or when the Director of Extension Education is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by such persons as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

12.2 Powers and Functions

a. The Director of Extension Education shall be responsible for supervision and coordination of all Extension Education Programmes in the University and shall be responsible to the Vice-Chancellor for performance of his duties, and shall perform such other functions as may be prescribed by the Ordinances.

b. The Director of Extension Education shall be *ex-officio* Member-Secretary of the Extension Education Council of the University.

13 Terms and Conditions of Service of the Heads of Department

13.1 Terms and Conditions of appointment

a. Each department shall have a Head appointed by Vice-chancellor, who shall be not below the rank of an Associate Professor, in the manner prescribed in Statute 10 of the University Act.

b. A professor or an Associate Professor appointed as Head of Department shall hold office for a period of three years and shall be eligible for reappointment.
c. It shall be open to a Professor or an Associate Professor to decline the offer of appointment as the Head of the Department.
d. A Head of the Department may resign his/her office at any time during his/her tenure of office.
e. The Head of the Department shall retire at the age of sixty-five years.

13.2 Powers and Functions

a) He shall be responsible to the Dean for teaching, to Director of Research for research, to Director of Extension Education for extension education work. However, the Dean shall be the administrative controlling officer of the Heads of Departments in college concerned.

b) The Head of a Department shall convene and preside over meetings of the Department which shall be held at least twice in a semester.

c) He / she shall be responsible for the following:-

i. To organize and supervise the teaching and research activities in the Department;

ii. To frame the time table in conformity with the allocation of the teaching work made by the Department;

iii. To maintain discipline in the class room and laboratories through teachers;

iv. To assign to the teachers in the Department such duties as may be necessary for the proper functioning of the Department;

v. To assign work and exercise control over the non-teaching staff in the Department; and

vi. To perform such other functions as may be assigned/ prescribed to him/ her from time to time by the ordinances, Dean of the College concerned, the Academic Council, the Board, and the Vice-Chancellor.

Dr. ARVIND KUMAR, Vice Chancellor

[ADVT-III/4/Exty./285/16(375)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.